न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/115/2025 रजि0 न0 2025/288

अपीलार्थी:–	प्रत्यर्थी:–
श्री हरद्वारी लाल, E–30, भूतल, प्रीत विहार, दिल्ली– 110092	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांक:– 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 12.05.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई । अतः सूचना दिलवायी जावे ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/6721 दिनांक 07.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 12.05.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र से अंकित बिन्दुओं के संबंध मे न्यास पत्र क्रमांक 1860–61 दिनांक 26.05.2025 को प्रेषित किया जा कर अपीलार्थी को संसूचित किया गया है कि न्यास कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने हेतु जारी किया गया । प्रति संलग्न है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑफलाइन पत्र स. 1860–61 दिनांक 26.05.2025 के माध्यम से चाही गई सूचना का विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है एवं इस न्यायालय मे प्रथम अपील संख्या 12/81/2025 निर्णय दिनांक 30.06.2025 के द्वारा अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जा चुकी है, जो उचित एवं पर्याप्त है पुनः प्रस्तुत प्रथम अपील के आलोक में भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर